राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 97( )खा.वि./पीडीएस/2026 जयपुर हस्ताक्षरित दिनांक

–: परिपत्र :–

राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को सरकारी सेवाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ पहुंचाने एवं Automated Service delivery (SMART project) के अन्तर्गत राशन कार्ड में नाम जुड़वाने/कटवाने के लिए खाद्य विभाग द्वारा नवीन स्वचालित व्यवस्था लागू की जा रही है।

इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान के ''पहचान पोर्टल'' (Birth and Death Registration Portal) के माध्यम से जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही, DOITc के SMART System के जरिये विभागीय RRCC (राशन कार्ड) डेटाबेस में संबंधित सदस्य का नाम स्वतः (Auto Mode) जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. नवजात शिशु के जन्म उपरांत राशन कार्ड में स्वतः नाम जुडना :–

- पहचान पोर्टल पर जैसे ही किसी नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा, उसकी सूचना SMART System से प्राप्त होने पर डिजिटल डेटा के आधार पर खाद्य विभाग का RRCC सॉफ्टवेयर स्वतः सक्रिय हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में दर्ज माता एवं पिता के विवरण (जैसे आधार, जनाधार, नाम इत्यादि) का मिलान कर, शिशु का नाम संबंधित परिवार के राशन कार्ड में ''स्वतः (Auto)'' सदस्य के रूप में जोड़ दिया जाएगा।
- यदि पहचान पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय शिशु का नाम दर्ज नहीं किया जाता है, तो राशन कार्ड में भी अस्थाई रूप से ''बेबी ऑफ माता का नाम''(Baby of Mother Name) के रूप में नाम स्वतः दर्ज हो जाएगा। बाद में जनआधार पोर्टल पर नाम अपडेट होने पर राशन कार्ड में भी वास्तविक नाम स्वतः ही अपडेट हो जाएगा।
- नवजात शिशु के जन्म उपरांत राशन कार्ड में स्वतः नाम जुडने की उक्त प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा चयनित एवं गैर–खाद्य सुरक्षा परिवारों पर समान रूप से लागू होगी।
- यदि उक्त परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र है, तो नाम जुड़ने के उपरांत उस शिशु के हिस्से का गेहूं/खाद्यान्न आवंटन स्वतः प्रारंभ कर दिया जाएगा। 5 वर्ष की आयु उपरान्त खाद्यान्न प्राप्ति हेतु ई–केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।

2. मृतक सदस्य का नाम राशन कार्ड से स्वतः विलोपित होना :–

- राज्य में किसी भी नागरिक की मृत्यु उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) जारी किया जाएगा, उक्त मृत्यु सूचना SMART

RajKaj Ref No.: 23097629

Digitally signed by AMBRISH KUMAR
Designation: Secretary To Government
Date: 2026-06-29 19:40:11 IST

v-1.0

System के जरिये विभाग को प्राप्त होते ही संबंधित मृतक सदस्य का नाम उनके परिवार के राशन कार्ड से ''स्वतः (Auto)'' हटा (Delete) दिया जाएगा।

3. <u>प्रवर्तन तंत्र एवं उचित मूल्य दुकानदारों हेतु निर्देश :–</u>

- यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से केंद्रीकृत और कम्प्यूटरीकृत (सॉफ्टवेयर आधारित) है। जिला रसद कार्यालय अथवा ब्लॉक स्तर पर इसके लिए किसी भी प्रकार के भौतिक आवेदन, दस्तावेज या शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी।
- समस्त जिला रसद अधिकारी अपने अधीनस्थ प्रवर्तन अधिकारियों, निरीक्षकों एवं उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित करें कि वे पोस मशीन में प्रदर्शित ऑनलाइन डेटा के अनुसार ही खाद्यान्न का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करें। यदि किसी डीलर द्वारा इस प्रक्रिया के नाम पर अनावश्यक कागजात मांगे जाते हैं, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

नोटः– उक्त के अतिरिक्त नये राशनकार्ड बनाये जाने एवं इसमें किसी नये सदस्य के नाम जोड़ने/हटाने की प्रक्रिया पूर्वतः रहेगी।

(अम्बरीष कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन, जयपुर।
7. निदेशक, जन अभियोग निराकरण(लोक सेवाएं) विभाग, जयपुर।
8. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी
11. समस्त आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय, राजस्थान।
12. समस्त उपखण्ड अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी, राजस्थान।
13. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (NIC), खाद्य विभाग, जयपुर।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक, खाद्य विभाग, राजस्थान।
16. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref No.:
23097629

Digitally signed by
AMBRISH KUMAR
Designation: Secretary To
Government
Date: 2026-06-29 19:40:11
IST